

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

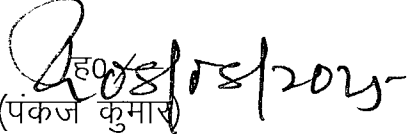
अधिसूचना

पटना, दिनांक—

जी0एस0आर0 चूँकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम-7) की धारा-9 के अधीन "सलाहकार बोर्ड" का पुनर्गठन आवश्यक है;

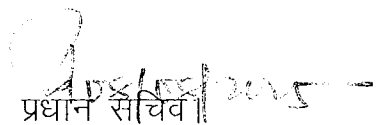
अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार द्वारा माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार भीमप्पा बजंथरी (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, पटना को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश, श्री गोपाल प्रसाद (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायाधीश, श्री प्रभात कुमार झा (सेवानिवृत्त), को सदस्य के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त करते हुए तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है ।

(प्र04-ब01-01 / 2008-खण्ड)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव ।

जी0एस0आर0..... - दिनांक.....

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।


प्रधान सचिव ।

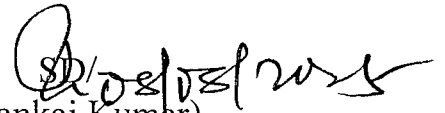
Govt of Bihar
Food & Consumer Protection Department

Notification

G.S.R Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (Act 7 of 1980);

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Mr. Justice Shri Pavankumar Bhimappa Bajanthri (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Justice Mr. Gopal Prasad (Retired) and Hon'ble Justice Sri Prabhat Kumar Jha (Retired) as Members on the basis of nomination of Hon'ble Acting Chief Justice, Patna High Court, Patna with immediate effect, and accordingly the said Board is hereby reconstituted.

By order of the Governor of Bihar

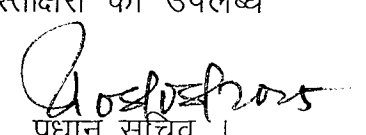

(Pankaj Kumar)
Principal Secretary

ज्ञापांक:—प्र04—ब1—01 / 2008—खण्ड— 1898

खाद्य,पटना / दिनांक— 11/08/2025

प्रतिलिपि:— प्रभारी ई—गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

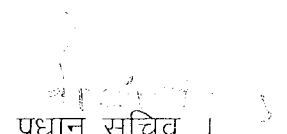
कृपया प्रकाशित अधिसूचना की एक सौ प्रतियाँ शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें ।


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक:—प्र04—ब1—01 / 2008—खण्ड— 1898

खाद्य,पटना / दिनांक— 11/08/2025

प्रतिलिपि:— महाधिवक्ता, बिहार, पटना / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार, पटना / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार अन्तर्गत सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।